न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 22/2017 G.C.M.S. No. 2011/00047 दर्ज दिनांक : 26.04.2017

अपीलार्थी:

1. मांगीलाल पुत्र वागाराम जाति जणवा चौधरी, निवासी जुणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. नेमाराम पुत्र मना जाति जणवा चौधरी, निवासी सादड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जुगराज पुत्र कुपाराम कौम सुथार निवासी लाटाडा, तहसील बाली व जिला पाली।
2. मृतक मोहनलाल पुत्र कुपाराम के का.मु.–
   2/1 नरेशकुमार पुत्र मोहनलाल
   2/2 सुमित्रा पुत्री मोहनलाल
   2/3 विमला पुत्री मोहनलाल
   2/4 नारंगी पत्नि मोहनलाल
3. प्रशांत पुत्र सुरेश कुमार
4. प्रतीक पुत्र सुरेश कुमार
5. कंचन पत्नि सुरेश कुमार कौम सुथार निवासी लाटाडा तहसील बाली व जिला पाली।
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।
7. चौथीदेवी पत्नि पन्नाराम, जाति मीणा, निवासी लालराई, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या क्रमांक एफ.12(3)/राज/रास्ता/2017/11 बअनवान चौथीदेवी बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सीपी सिंघानिया, श्री मांगीलाल प्रजापत, श्री कमलेश चौहान, श्री मुकेश आर्य, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या क्रमांक एफ.12(3)/राज/रास्ता/2017/11 बअनवान चौथीदेवी बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पारित किया है, वह निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 7 द्वारा ग्राम लाटाडा तहसील बाली में स्थित अपनी आराजी खसरा संख्या 83/1 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अपीलांट सहित दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात अप्रार्थीगण को जवाब आपत्ति हेतु सम्मन जारी किए गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण खातेदारान को सूचित किए बिना एवं इनकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार बाली व भू.अ.नि. मुण्डारा द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं।
3. पत्रावली पर उपलब्ध प्रभावित आराजीयात के भूनक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा खसरा संख्या 83/1 के लिए रास्ते की मांग की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 101, 83/2 व 83 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है।
4. यह भी उल्लेखनीय है कि भू.अ.नि. द्वारा अप्रार्थीगण की आपत्ति पर की गई जांच रिपोर्ट भी पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं की गई एवं मौके की वस्तुस्थिति तथा सभी संभव विकल्पों को नहीं दर्शाया गया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट भी दूषित है। प्रकरण जैरकार के दौरान अप्रार्थी मोहनलाल फौत हो चुका था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या क्रमांक एफ. 12(3)/राज/रास्ता/2017/11 बअनवान चौथीदेवी बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner